


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>188, 244, 245 के बजायी हुई हैं। अप्रार्थिता ने अपनी कानून की सीमाओं तदपीवदर तद. चाकड़ ठारा दिनांक 5/7/23 को ख्यात हैं।</p> <p>अतः उक्तपत्तों की विवादित सीमा का तदपीवदर तद. चाकड़ ठारा दिनांक 5/7/23 में किया जा चुका है। उक्तपत्तों को इस बात के निस्तारण तद दिनांक 5/7/23 ने किए गए तदपीवदर की अनुवाद तय की गई सीमा पर मौकी की प्रशासित बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उक्तपत्तों पर-ठारे की कानून उक्तपत्तों में समल नहीं करेंगे।</p> <p>प्रावली केवल शुमार दोस्त पर नम्बर 188 ही।</p> <p style="text-align: center;">  उपस्थित, तद. (18/7/23) </p>

फर्द अहकाम	
यायालय	बनाम
फर्दमा संख्या / वर्ष	:
क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
आज्ञा विस्तृत रूप से	

फर्द अहकाम

आयालय उपखण्ड काबिलफाली न्याय
 शिवजीराज बनाम शरदा
 क्रमा संख्या / वर्ष : 188 / 20 23

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/12/24	<p>पत्रावली पेश की वरील फलानान उपा अउगी ① के साथ मुफ्त की कार्यवाही निम्न लम्बावधि के क्षेत्र के कारण अउगी ल. ③ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>कह उम्मतों की जा. पत्र पर प्रतीति वादे कावेरा पत्रावली दिनांक 28/12/24 को पेश है।</p>	
	28/12/24	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधीन उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p> <p>पत्रावली पेश की वरील फलानान उपा कह जा. पत्र पर पूर्व में प्रतीति मुनी है।</p> <p>उम्मतों की कह लुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह जा. पत्र उगी ने दावा वाकत त्यागी निवेधाना के साथ पेश किया गया है। उगी की जा. पत्र में वरील विवादित सति अ.न. 1049, 1050, 147, 178, 179, 187, 188, 200, 232, 244, 245, 255, 273, 30, 31, 32, 33, 839, 986 987 गुरु हपराहपुरा में निम्न है जिसकी सीमा अउगीजिणों की पूर्व रिपोर्ट सति अ.न. 187,</p>	

उपखण्ड अधिकारी